हलाला और इस्लाम धर्म

शोधार्थी: रुमैसा नज़ीर

कश्मीर विश्वविध्यालय

हजरतबल श्रीनगर

हम इस बात से भलि भांति अवगत है कि आज सम्पूर्ण भारत में 'ट्रिपल तलाक' और 'हलाला' का हल्ला मचा हुआ है और सब इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं परन्तु क्या आपको पता भी है यह हलाला क्या चीज़ है? 'हलाला' यानि तीन तलाक़ के बाद यदि स्त्री अपने पति के पास वापस जाना चाहती है तो उसके लिए उसे पहले किसी दूसरे पुरुष से अस्थाई विवाह करना होगा और फिर यदि यह पति उसे तलाक़ दे या उसकी मृत्यु हो जाए तब जा के वो अपने पूर्व पति के लिए हलाल होगी और उसके साथ पुन: निकाह कर सकती है | इस प्रवृति को लेकर आज जोरो शोर से राजनीति चल रही है | धर्म के चंद ठेकेदारों ने अपने आपको मान्यता देने के गर्ज़ से इसमें परिवर्तन किया है | उन्होंने इस हलाला प्रक्रिया को एक नये ढंग से प्रस्तुत किया है कि यदि स्त्री को तलाक दिया जाए, वह तब तक अपने पति पर हलाल नहीं होगी जब तक उसका किसी दूसरे व्यक्ति से हलाला न करा दिया जाए | यदि एक बार हलाला हो गया तब जाके वह अपने पूर्व पति पर हलाल होगी परन्तु यह सब गलत है | मुस्लिम समाज में तीन तरह के तलाक देखे जा सकते हैं :-

1.***तलाक-ऐ-बिद्दत***–एक साथ तीन तलाक |

2.***<u>तलाक-ऐ-हसन</u>*** –तलाक दिया फिर एक माह तक रुको फिर दूसरा तलाक फिर एक माह तक रुको और फिर तीसरा तलाक |

3.***<u>तलाक-ऐ-अहसन</u>*** – तलाक दिया फिर तीन माह तक रुको, उसके बाद दूसरा तलाक फिर तीन माह तक रुको और अंत में तीसरा तलाक और इस तरह दोनों मियां-बीवी एक दूसरे से अलग हो जाते है |

इनमें से तीसरा यानि '***तलाक ऐ अहसन***' के बारे में कुरआन की दूसरी सूरह यानि सूरह 'अल बकरा' की २२८ वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो तीन माह की इद्दत अर्थात तीन 'हैज़' अर्थात तीन मासिक धर्मचक्र की समय विधिके पश्चात आप दूसरा तलाक दे सकतें है इसी तरह दूसरे तलाक के बाद भी तीन माह की इद्दत/अवधि है फिर तलाक | परन्तु हमारे उलामा में इसको लेकर मतभेद है, कि कौन सही है और कौन गलत | लेकिन इस्लाम धर्मग्रंथ 'कुरआन' पर चलना मुसलमान का कर्तव्य है और कुरआन की दूसरी सूरह – सूरह बकरह की २२८ से २४० तक की आयतें और कुरआन की सूरह ६५ यानि सूरह तलाक की १ से ७ तक की आयतों में तलाक के संबंध में कहा गया है कि यदि कभी किसी बात को लेकर पति-पत्नी में अनबन होती है तो उन्हें बैठ के आराम से सुल्जाने का और सुलह कर लेना चाहिए ना कि तलाक दे क्योंकि कुरान में साफ़-साफ़ लिखा गया है कि सब से नापसंद चीज़ अल्लाह ने तलाक़ को माना है | इसी प्रकार सुरह 'अल निसा' की ३५ वीं आयत में कहा गया है कि दोनों के बीच में गवाह रखना चाहिए और यदि तलाक होता है तो तीन माह तक रुको यदि इस बीच

आपको लगे की अलग होना है तब दूसरी तलाक होगी इसी तरह तीन तलाक की इद्दत तीन माह है, इसके बाद आप दोनों अलग रहे | परन्तु यदि कुछ वर्षों बाद या कुछ समय बाद वो दोनों इरादा करें कि उन्होंने अलग होक गलत किया और अब वह अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो उन्हें ना रोके बल्कि इसके लिए उन्हें नया निकाह और नया मेहर रखना होगा परन्तु कुछ उलमा का मानना है कि इसके लिए हलाला करना जरूरी है जो कि कहीं से प्रमाणित नहीं है | इसके लिए प्रत्येक मुसलमान को चाहिए कि वो स्वयं कुरआन पढ़े और समझे | हलाला के बारे में इब्न ऐ कसीर में लिखा है कि-"सय्दिना अब्दुल्ला बिन उमर हलाला को जिनाह कहते थे"1| इसी तरह एक और रिवायत है कि "अगले खावंद की' नये निकाह करने वाले की' या औरत की अगर नियत हलाला की है तो यह निकाह बातिल है और वह पहले खान्वंद के लिए यह औरत हलाल न होगी"2| अर्थात हलाला को हर तरह से गलत करार दिया गया है | इसी प्रकार कईयों का मानना है कि यह हलाला केवल पुरुषों पर लगाम कसने के लिए था क्योंकि जब इस्लाम में शराब पीने की मनाई नहीं थी और जब पुरुष नशे की हालत में घर आता था तो अपनी पत्नी के साथ असहनी व्यवहार करता और उसे तलाक देता बाद में जब उसे होश आता तब वह अपनी ना समझी पर पश्ताता और दोबारा निकाह करना चाहता, इसके लिए हलाला प्रक्रिया रखी गई ताकि पति ऐसी गलती दोबारा ना करे क्योंकि कोई भी पति यह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखे | इसी तलाक को रोकने के लिए हलाला रखा गया था परन्तु आज इसे गलत तरीके से व्यवहार में लाया गया है और इसके लिए

हमारा मीडिया जिमेदार है जो बड़ा चड़ा कर लोगों को गुमराह कर रहा है | इसी प्रकार कहा जा सकता है कि यह सब पूर्ण रूप से सही नहीं है और हमे आगे आ कर इसे रोकना चाहिए जो सत्य है उसे लोगों के समक्ष रखना चाहिए | इसी तीन तलाक को आधार बना कर लिखा गया उपन्यास 'हलाला' में भगवानदास मोरवाल जी ने इस तलाक ऐ बिद्दत को केंद्र में रख कर इसकी रचना की है जिसमें नज़राना नामक पात्र को अपना पति एक साथ तीन तलाक देता है और कुछ समय के पश्चात उसके पति नियाज़ को यह आभास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी अपनी भीवी के साथ किया वो नियायपूर्वक नहीं था इसलिए वो उसे घर वापस लाना चाहता है परन्तु किसी मोलवी के कहे अनुसार नज़राना का पहले हलाल होना जरूरी है | इसके लिए कोई ऐसा पुरुष चाहिए जो हलाला के लिए तैयार हो और बाद में नज़राना को तलाक दे परन्तु ऐसा कोई ना मिलने पर उन्हें पड़ोसी गाँव का डमरू नामक व्यक्ति मिल जाता है जिससे नज़राना का निकाह कराया जाता है जो रंग रूप से काले सांड जैसे दीखता है परन्तु मोलवी के कहे अनुसार यह सब कराना आवश्यक है इसलिए बिना कुछ सोचे समझे निकाह करा दिया जाता है यहाँ तक कि नजराना की रजामंदी भी नहीं पूछी गई | शादी होने के पश्चात डमरू नज़राना की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखता और नियाज़ की अमानत समझ कर उससे दूर रहने लगता परन्तु जब तलाक देने का समय आता है तब नज़राना अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आवाज़ उठती है और तलाक देने से इनकार कर यह कह देती है कि "हम कोई लत्ता – कपडा हैं के जब जी करे पहर लेओ और जब जी करे अन्ने उत्तार के फेंक देओ"3 |

इस तरह भगवानदास मोरवाल जी ने नजराना के द्वारा मुस्लिम स्त्री के मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि इस पुरुष प्रधान समाज में उनका जीवन अभिशाप बन चुका है और नारी होने की सज़ा भुगतती है | आज भी समाज में यह सब देखने को मिलता है कि गलती पुरुष करे और सज़ा स्त्री को भुगत्तनी पडती है | आज प्रत्येक नारी की यही गुहार है कि यदि गलती पुरुष करता है तो सज़ा स्त्री को क्यों पुरुष को क्यों नहीं ? नारी को इस तरह के खोखले समाज को हरा कर अपनी अस्मिता तथा अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे बढना होगा और इन झूठे मोलवियों के चेहरे से नकाब उतार कर फैंकना पड़ेगा जो हलाला को मान्यता देते है और धर्म को बदनाम कर रहे है, हमें आगे आ कर इस कुप्रथा का खातिमा करना होगा और नारी के लिए वैसे ही जीने की आज़ादी दिलानी होगी जैसे वो चाहती है, साथ ही एक सभ्य समाज का निर्माण करना होगा और यदि स्त्री यह संकल्प ले कि वो एक स्वास्थ्य समाज की स्थापना करेगी तो इसके आड़े आने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है |

सन्दर्भ ग्रन्थ :-

१.हबील ,अबुशर.***हलाला की छुरी***, दारुल सफ़ा पुब्लिकेशंस, सं.जनवरी 2001 ,पृ.85

२.वही .पृ.89

३.मोरवाल ,भगवानदास .***हलाला***, वाणी प्रकाशन,2016,पृष्ठ.175